रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L. -33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] दिल्ली, मंगलवार, जून 11, 2013/ज्येष्ठ 21, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 56
No. 99] DELHI, TUESDAY, JUNE 11, 2013/JYAISTHA 21, 1935 [N.C.T.D. No. 56

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

कृषि विपणन निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जून, 2013

सं. एफ 8(03)/2013/डी.ए.एम./एम.आर./6420.–दिल्ली कृषि विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 2000 के नियम 15 के उप-नियम (4) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 35 के अन्तर्गत गठित कृषि उपज विपणन समितियों को देय निम्न सारणी में दर्शायी गई प्रति चक्कर फीस का सहर्ष निर्धारण करते हैं जो कि ठेला, रेहड़ा, रिक्शा, टैम्पो, ट्रक चालक या उसके मालिक द्वारा देय होगी:–

क्रम. सं0	वाहन का प्रकार	प्रति चक्कर फीस
(1)	दस और उससे ज्यादा पहियों वाले ट्रक (10 से लेकर 30 टन तक माल ले जाने वाले)	100 रू0
(2)	छः और उससे ज्यादा पहियों वाले ट्रक (3.5 से लेकर 10 टन तक माल ले जाने वाले)	60 रू0
(3)	कन्टेनर	50 रू0

2588DG/2013

(4)	चार पहियों वाले वाहन (1 से लेकर 3 टन तक माल ले जाने वाले)	20 रू0
(5)	तीन पहियों वाले वाहन (मोटराइज)	20 रू0
(6)	नॉन–मोटराइज माल ले जाने वाले (रेहड़ा, रिक्शा, ठेला)	5 रू0

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम एवं आदेश पर,
रमेश तिवारी, विशेष सचिव (विकास)

DEVELOPMENT DEPARTMENT

(DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th June, 2013

No. F 8(03)/2013/DAM/MR/6420.—In pursuance of the provisions of sub-rule (4) of rule 15 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General Rules, 2000, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to fix per trip fee as given in the table below, payable to the Agricultural Produce Market Committees, constituted under section 35 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 by the owner or Driver of a Thella, Rehra, Rickshaw, Tempo or Truck :—

S.No.	Type of Vehicle	Per Trip Fee
(1)	Truck with 10 tyres & above (carrying 10 tonnes to 30 tonnes)	Rs. 100
(2)	Truck with 06 tyres & above (carrying 3.5 tonnes to 10 tonnes)	Rs. 60
(3)	Container	Rs. 50
(4)	Vehicle with 4 tyres (carrying 1 ton to 3 tonnes)	Rs. 20
(5)	Vehicle with 3 tyres (Motorize)	Rs. 20
(6)	Non motorize carrier (Rehra, Rickshaw, Thella)	Rs. 05

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,
RAMESH TIWARI, Spl. Secy. (Development)

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जून, 2013

सं. ई.डी. 3 (विविध)/डी.एम.आर.सी./श्रम-ई. आई./08:—बाम्बे लिफ्ट अधिनियम, 1939, जिसका विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया हुआ है, की धारा 3 की उप-धारा (ए) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के निम्नलिखित अधिकारियों का उपरोक्त

अधिनियम के अन्तर्गत लिफ्ट निरीक्षक के पद पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं प्रदत्त कार्यो के निष्पादन हेतु इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से डी.एम.आर.सी. में उनकी पदावधि तक के लिए नियुक्त करते हैं:—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री एस. सी. जिन्दल	मुख्य विधुत अभियंता
2.	श्री ओ.एच. पाण्डे	मुख्य महा प्रबंधक
3.	श्री ए.के. सिंह	मुख्य विधुत अभियंता
4.	श्री एम.के. सिंघल	मुख्य विधुत अभियंता
5.	श्री डी.एस. परमार	उप मुख्य विधुत अभियंता
6.	श्री मुकेश वाधवा	उप महा प्रबंधक/विधुत

2. दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के निम्नलिखित अधिकारीगण जिन्हें पूर्व अधिसूचना सं॰ ई.डी. 3 (विविध)/डी.एम.आर.सी./श्रम-ई. आई./08/1703 दिनांक 22/02/2012 और ई.डी. 3 (विविध)/डी.एम.आर.सी./श्रम-ई. आई./08/5422 दिनांक 22/06/2010 के अन्तर्गत लिफ्ट निरीक्षक के पद पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं प्रदत्त कार्यो के निष्पादन हेतु शक्तियां प्रदान की गई थीं, 21/06/2013 से आगे डी.एम.आर.सी. में उनकी पदावधि तक लिफ्ट निरीक्षक के पद पर कार्य करते रहेंगे:—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री महेन्द्र कुमार	मुख्य विधुत अभियंता - 3
2.	श्री रवि भूषण	उप मुख्य विधुत अभियंता
3.	श्री विश्वेशवर दयाल	उप महा प्रबंधक/विधुत

3. उपरोक्त अधिकारियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यो का निर्वाहन, लिफ्ट संबंधी एवम लिफ्ट संस्थापना जोकि दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. दारा अधिग्रहित एवं स्वामित्व वाले सभी भवनों एवं स्थानों पर करेंगे।

4. दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यह सुनिश्चित करेगी की उपरोक्त अधिकारी दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. स्वामित्व वाले सभी भवनों/स्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य भवन/स्थान पर लगी लिफ्ट पर लिफ्ट निरीक्षक का कार्य करने हेतु मान्य नहीं होंगे।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल दारा डी.एम.आर.सी. के अधिकारी श्री ए. के. गर्ग, मुख्य महा प्रबंधक को उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत लिफ्ट निरीक्षक के पद पर प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करने एवं प्रदत्त कार्यों के निष्पादन हेतु श्रम विभाग, दिल्ली सरकार दारा जारी अधिसूचना संख्या ई.डी. 3 (विविध)/ डी.एम.आर.सी./श्रम-ई. आई./8/1703 दिनांक 22/2/2012 के अन्तर्गत जो नियुक्ति की थी उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जाये।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के
नाम पर तथा उनके आदेश से,
रमेश तिवारी, सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th June, 2013

No. ED3 (Misc). /DMRC/Lab-EI/08:—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the Bombay Lifts Act, 1939, as extended to National Capital Territory of Delhi read with sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to confer the powers of Inspector of Lifts on the following officers of the Delhi Metro Rail Corporation Limited till their tenure in DMRC.

Sl. No.	Name	Designation
1.	Sh. S.C.Jindal	Chief Electrical Engineer
2.	Sh. O.H. Pande	Chief General Manager
3.	Sh. A.K.Singh	Chief Electrical Engineer
4.	Sh. M.K.Singhal	Chief Electrical Engineer
5.	Sh. D.S. Parmar	Dy. Chief Electrical Engineer
6.	Sh. Mukesh Wadhwa	Dy.General Manager/Electrical

2. The following officers of the Delhi Metro Rail Corporation Limited who were conferred the powers of Inspector of Lifts vide earlier Notification No. ED3(Misc.)/DMRC/Lab-EI/08/1703, dated 22/02/2012 and ED3 (Misc). /DMRC/Lab-EI/08/5422 dated 22/06/2010 would continue to function as Inspector of Lifts till their tenure in DMRC beyond 21/06/2013.

Sl. No.	Name	Designation
1.	Sh. Mahendra Kumar	Chief Electrical Engineer -3
2.	Sh. Ravi Bhushan	Dy. Chief Electrical Engineer
3.	Sh. Vishveshwar Dayal	Dy. General Manager/Electrical

3. That the above mentioned officers shall exercise the powers and perform their respective functions in respect of lifts and its installations located and installed in the premises owned and controlled by Delhi Metro Rail Corporation Limited.

4. However, the Delhi Metro Rail Corporation Limited will ensure that they will not be Inspector of Lifts in respect of lifts installed in any other building not owned or controlled by the Delhi Metro Rail Corporation Limited in the National Capital Territory of Delhi.

5. The powers of Inspector of Lifts conferred on officer of DMRC namely Shri. A.K. Garg, Chief General Manager (E/UG) under clause (a) of section 3 read with sub-section (1) of section 8 of the Bombay Lifts Act, 1939 as extended to N.C.T. of Delhi vide Department of Labour, Government of NCT of Delhi vide Notification No.ED3(Misc.)/DMRC/Lab-EI/08/1703 dated 22.02.2012 stand withdrawn with immediate effect.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

RAMESH TIWARI, Secy. (Labour)

व्यापार एवं कर विभाग

(आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जून, 2013

'सनग्लासिस' के संबंध में दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 85 के अंतर्गत निर्णय

सं. : 337/सीडीवैट/2013/163.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (वार्ड–101) व्यापार एवं कर विभाग ने दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा जाये) की धारा 85 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र निम्नलिखित बिन्दु संबंधी स्पष्टीकरण/निर्णय लेने के लिये दायर किया है:—

"क्या 'सनग्लासिस' दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 115 के अंतर्गत आते हैं तथा 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है अथवा इसके अंतर्गत नहीं आते हैं और 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है ?"

2. आवेदक ने अपने दिनांक 26.05.2013 के आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि रे बैन, टाइटन आई+, और बॉन टॉन जैसे 'सनग्लासिस' के बहुत सारे व्यापारी 5 प्रतिशत की दर से मूल्य संवर्धित कर वसूल कर रहे हैं जबकि आरचीज जैसे अन्य व्यापारी 12.5 प्रतिशत की दर से मूल्य संवर्धित कर वसूल रहे हैं जिससे इन मदों पर कर देयता संबंधी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है ।

3. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की तृतीय अनुसूची की संबंधित **प्रविष्टि** संख्या 115 की जॉच करना उचित है जो निम्न प्रकार से है :—

"ऐनक, इसके पुर्जे और कम्पोनेंट्स, कान्टेक्ट लेन्स एवं लेन्स क्लीनर"

बोलचाल में 'ऐनक' लेन्सिस वाले फ्रेम हैं जो दोषपूर्ण नेत्र दृष्टि सुधार के लिये पहने जाते हैं । तथापि, 'सनग्लासिस' उड़ती धूल से या सूर्य की चौंध से नेत्रों के बचाव हेतु बचावकारी ग्लासेस की एक किस्म है । प्रायः सनग्लासिस मात्र सौन्दर्य बोधी प्रयोजनों या साधारणतः नेत्रों को छिपाने के लिये पहने जाते हैं ।

4. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के उपबन्धों की तथा 'ऐनक' और 'सनग्लासिस' जैसे मदों की परिभाषाओं की ध्यानपूर्वक जॉच करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि 'ऐनक' और 'सनग्लासिस' एक दूसरे से भिन्न हैं । इसके अतिरिक्त दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 115 विशेष रूप से केवल 'ऐनक' आती है । अतः दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 85 के अंतर्गत प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा उठाए मामले संबंधी निर्णय निम्न प्रकार दिया जाता है:—

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 115 के अंतर्गत 'सनग्लासिस' नहीं आते हैं और यह अविनिर्दिष्ट मद है अतः यह दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 4 (1) (ड़) के अंतर्गत आती है । अतः 'सनग्लासिस' के संबंध में कर की दर 12.5 प्रतिशत है ।

यह निर्णय केवल स्पष्टीकरण स्वरूप का है और यह पूर्व प्रभाव अर्थात् 01.04.2005 से प्रभावी होगा, जिस दिन से दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम और दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली प्रभावी हुये।

प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(COMMISSIONER, VAT)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th June, 2013

Ruling under section 85 of DVAT Act, 2004 in respect of Sun Glasses.

No. 337/CDVAT/2013/163.—VATO (Ward-101), Department of Trade & Taxes, has filed an application under section 85 of the DVAT Act, 2004 (herein after called "the said act"), seeking clarification/ruling on the following point:—

"Whether Sun Glasses are covered under entry no. 115 of the 3rd Schedule and taxable @5% or not covered and taxable @ 12.5% under Delhi Value Added Tax Act, 2004?"

2. The applicant in his application dated 26.05.2013 has stated that many dealers of sun glasses like Ray Ban, Titan eye+, and Bon ton are charging VAT @5%, while other dealers like Archies is charging VAT @12.5%, which is creating confusion regarding taxability on these items.

3. It is worthwhile to examine the relevant entry no. 115 of Schedule III of DVAT Act, 2004, which reads as under: -

"Spectacles, parts and components thereof, contact lens & lens cleaner"

In common parlance, spectacles are frames bearing lenses worn for correction of defective vision. However, sunglasses are a kind of protective glasses for eye protection against flying debris or against glare of sun. Sunglasses are often worn just for aesthetic purposes, or simply to hide the eyes.

4. After careful examination of the provisions of DVAT Act, 2004 and definitions of terms like spectacles and sunglasses, it is clear that 'spectacles' and 'sunglasses' are different from each other. Further, the entry no. 11S of schedule III of the DVAT Act, 2004 specifically covers only spectacles. Therefore, the ruling on the question raised by the applicant in his application filed under section 85 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 is given as follows:

"The sunglasses are not covered under entry no. 115 of Schedule III of DVAT Act, 2004 and are unspecified item, hence covered under section 4 (1) (e) of the Delhi Value Added Tax Act, 2004. So, the rate of tax in respect of sunglasses is 12.5%."

This ruling is only clarificatory in nature and hence shall be in force from retrospective effect i.e. with effect from 01.04.2005, the day, the DVAT Act and DVAT Rules came into force.

PRASHANT GOYAL, Commissioner, VAT

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054